तत्काल / महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–1319 / 14–1 , (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 01 | 02 | 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
सम्भल।

विषयः– जनपद सम्भल में मेरठ–बदॉयू मार्ग (एस0एच0–18) के चैनेज 142.600 से चैनेज 162.000 तक 04 लेन (लम्बाई 19.400 किमी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (नध्य) की पत्र सं0–8बी / यू0पी0 / 06 / 52 / 2017 / एफ0सी0 / 742 दि0 02–01–2018 व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0–2130 / सम्भल / 23576 / 2017, लखनऊ, दिनांक 11.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 02–01–2018 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 6 व 8 से 9 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 46.56 हे0 (23.28X 2= 46.56 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8295000 / – (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) (All Amount will be paid by e-portal generated Challen only) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2 (क) प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 14573280 / – (All Amount will be paid by e-portal generated Challen only) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2 (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2 (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृती जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच , भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27 / 2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनो तरफ तथा मिडियन पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

6–प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

7–इस बिन्दु पर इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

8–पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0–11–305 / 2014–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 28.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धातिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्य जीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

9–राज्य सरकार उक्त वन प्रभाग में भविष्य में प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त वन प्रभाग के आस–पास स्थित स्थल का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयन सुनिश्चित करेगी।

उक्त प्रकरण में चौडीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद सम्भल में बाधक वृक्षो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृती भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (वर्ग > 30 से0मी0)
1	सम्भल	2230 वृक्ष व 44 पौधें

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि ***(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 2230 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष)*** **रू0 22300/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के नाम देय हो प्रस्तुत करें।**

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृती जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें, ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, गुन्नौर।

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।